



थाना नगीना देहात:— आज दिनांक 18.09.2021 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त गौतम उर्फ गोल्डी पुत्र सुनील कुमार निवासी ग्राम भदौला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को मु0अ0सं0 266/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना बढापुर:— आज दिनांक 18.09.2021 को थाना बढापुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त 1— अजीम पुत्र शरीफ अहमद निवासी मौहल्ला गंजपुरा कस्बा/थाना बढापुर जनपद बिजनौर 2— अदनान पुत्र फारूख निवासी मौहल्ला निवासी नवमी कस्बा/थाना बढापुर जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 142/21 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु कूरता अधिनियम मे पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना बढापुर:— आज दिनांक 18.09.2021 को थाना बढापुर पुलिस द्वारा 04 अभियुक्तगण 1— उमेश पुत्र हरिकेश 2— गोविन्द पुत्र रामसिंह निवासीगण इनायतपुर थाना बढापुर 3— पवन कुमार पुत्र हरिश चन्द्र 4— नवनीत पुत्र भूपेन्द्र सिंह निवासी ग्राम जमालपुर थाना बढापुर जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना स्योहारा:— आज दिनांक 18.09.2021 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण 1— महिपाल पुत्र नैन सिंह निवासी गंगाधरपुर थाना स्योहारा 2— हैदर पुत्र नसीम निवासी मौहल्ला खान थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना स्योहारा :- आज दिनांक 18.09.2021 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तगण 1- नदीम अहमद पुत्र रजा हसन 2- अफजाल पुत्र अबरार अहमद 3- अजीम उर्फ अज्जू पुत्र मौहम्मद हनीफ निवासी मौहल्ला हकीमपुरा सहसपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना मण्डावर:- आज दिनांक 18.09.2021 को थाना मण्डावर पुलिस द्वारा अभियुक्त संजय कुमार पुत्र ऋषिपाल सिंह को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना कोतवाली शहर:- आज दिनांक 18.09.2021 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तगण 1- मौ0हसन पुत्र अब्दुल हसन 2- आरिफ पुत्र फरीद निवासीगण ग्राम मुस्तफाबाद थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 3- शहजाद पुत्र मौहम्मद इस्लाम निवासी मौहल्ला चाहशीरी बी-24 थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना कोतवाली शहर:- आज दिनांक 18.09.2021 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण 1- योगेन्द्र पुत्र स्व0 जयपाल सिंह निवासी ग्राम गोकलपुर थाना कोतवाली शहर 2- जसराम पुत्र राजपाल निवासी घुडियापुर थाना कोतवाली शहर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



जनपद बिजनौर

मिशन शक्ति अभियान फेस-03



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, नारी स्वाभिमान के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा ग्राम जागीरामपुरी मे महिलाओ/बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, नारी स्वाभिमान के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा ग्राम चान्दानगली मे महिलाओ/बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, नारी स्वाभिमान के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा ग्राम हादकपुर मे महिलाओ/बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, नारी स्वाभिमान के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत को थाना मण्डावर पुलिस द्वारा ग्राम नारायणपुर मे महिलाओ/बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

